

FORM NO.111

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर (सीकर)

जगदीश प्रसाद बन्नाम मिस्त्री वगैरे

किरम मुकदमा- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 41/2022

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
फॉर्म की तारीख  
में जारी हुई

तारीख हुकम

28.06.2022


हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

प्रार्थी की ओर से श्री शंकर लाल सेनी एडवो ने उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकले साधारण तरिके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 13.06.2022 को पेश हो।

दिलीप सिंह  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
श्रीमाधोपुर, (सीकर)

18.07.2022

इकजाई तारीख पेशियाँ दिये जान ने पर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूककर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील प्रार्थीगण व पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थीगण व पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

  
(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

